import quantity of used/retreaded tyres during 1996-97 was 2734 in number and it was 12676 in number during April 1997-February 1998*. It may not be possible to estimate the quantity of import of used tyres during 1998-99 at this stage. Import of new and used tyres was made free with effect from 1.4.1997. Steps have since been taken to prevent unrestricted import of used tyres in the manner stated above.

Drug Consumption in the Country

*475. SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the warning made by the International Narcotics Control authorities that two per cent of the Indian population is already hooked on the opiates;

(b) if so, whether any national survey has been conducted to accurately determine the level of drug consumption in India;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) to (d) No national survey has been conducted but a nation-wide study by sponsoring projects in 33 selected cities/ towns and border areas was undertaken in 1990. The main findings include inter-alia prevalence of addiction in varying degrees among all sections of the society with age group between 16 to 35 years being worst affected. Further the findings indicate that certain sections of society such as transport workers, commercial sex workers, unemployed youth, students, labourers and slum dwellers are vulnerable to drug addiction.

असंगठित श्रम-शक्ति का संरक्षण

*476. **श्री बरजिन्दर सिंहः**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में संगठित श्रम शक्ति की तुलना में असंगठित श्रम शक्ति की मात्रा अधिक है,

(ख) यदि हां, तो संगठित और असंगठित श्रम शक्ति संबंधी आंकलन क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में असंगठित श्रम शक्ति की आर्थिक दशा दयनीय है और वे शोषण से पीड़ित है,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्य प्रतिक्रिया है, और

(ङ) क्या इस असंगठित श्रम शक्ति को संरक्षण देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) 286 **मिलियन के कुल श्रम बल में से लगभग** 27 **मिलियन संगठित क्षेत्र में हैं और** 259 **मिलियन असंगठित क्षेत्र में हैं।**

(ग) और (घ) असंगठित शब्द का अर्थ किसी विशेष श्रेणी से नहीं है अपितु उन सभी करमगारों के लिए है जिनका अपनी संख्या के कारण (या तो बहुत अधिक अथवा बहुम कम) कोई संगठन नहीं होता, जो सुदूरवर्ती औऱ बिखरे क्षेत्रों में फैले होते हैं, और जिनके पस शिक्षा , जागरुकता तथा व्यवसाय संघ कार्यकलापों का अभाव होता है। अतः संगठित और असंगठित कामगारों की कार्य परिस्थितियों की तुलना कर पाना कठिन है।

(ङ) संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के कामगारों के अधिकारों और उनके कल्याण के संरक्षण के लिए अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गए हैं। ऐसे कुछ कानून हैः- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, ठेका श्रम (व्रिनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970, बंधित श्रम पद्वति (उत्पादन) अधिननियम, 1976, बीड़ी एवं चिर्ड कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 जंतरीज्यक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें)